22

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

प्रस्तावना

तकनीकी सहयोग कार्यक्रम

22.1 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा भारत के बीच एक साहसिक तथा सक्रिय संबंध है जिसके कारण वर्षों से निकट तथा गतिशील सहयोग स्थापित हुए हैं । भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम में सक्रिय रूप से समर्थन एवं उसमें भागीदारी लेता रहा है ।

भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की परियोजनाएं

22.2 भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के तकनीकी सहयोग के अंतर्गत भारतीय श्रमिकों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों जैसे रोजगार, पेशागत सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, कार्य स्थितियों में सुधार, प्रशिक्षण सुविधाओं को अद्यतन करना, प्रबंधन परामर्श में विकास, महिलाओं तथा शहरी क्षेत्र के गरीबों के लिए लघु उद्यम कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम, रोजगारपरक उच्च तकनीक प्रशिक्षण, कामगारों को शिक्षा आदि क्षेत्रों में कार्यरत है । इनमें से कई परियोजनाएं तथा उनसे संबंधित क्षेत्रों की परियोजनाएं कार्यान्वयन हेतु विभिन्न चरणों में है ।

22.3 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तकनीकी सहायता भारत में ऐसी व्यावहारिक अध्ययन, परियोजना डिजाइन एवं संगठन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन एवं कार्यशाला आयोजित करने में भी सहायता प्रदान करता है जहां अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विशेषज्ञ एवं संसाधन के रूप में कार्य करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सक्रिय भागीदारी नीति के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा भारत के बीच साझेदारी के कारण नई दिल्ली में बहुआयामी दल (अ.श्र.सं., एस.ए.टी.) तकनीकी सहयोग प्रदान करता है तथा बैंकाक स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुख्यालय तकनीकी विभाग के द्वारा भी उक्त सहयोग दिये जाते हैं। वर्ष के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक में तकनीकी विशेषज्ञों ने सलाहकार सेवाएं, सांख्यिकीय तथा भविष्य में साझेदारी के संगठित क्षेत्रों पर भी चर्चा की जाती है। आगामी वर्षों के लिए देश के प्रमुख कारकों की पहचान हेतु सरकार के साथ श्रमिक एवं नियोक्ता संगठन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ निकटता के साथ कार्य करते हैं । मुख्य जोर रोजागार को बढ़ावा देने एवं आर्थिक पुनर्संरचना की प्रक्रिया में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, बाल श्रम उन्मूलन, कार्यस्थिति का प्रबंधन, पेशागत सुरक्षा तथा अति खतरनाक क्षेत्रों में स्वास्थ्य पर था । वर्ष 2004 के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा आयोजित कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लिया ।

अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण/कार्यशाला आदि में भाग लेना

22.4 वर्ष के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा यू.एन.डी.पी. द्वारा प्रदत्त फैलोशिप के अंतर्गत छः अधिकारियों को प्रशिक्षण, कार्यशाला, सेमिनार एवं बैठकों में भेजा गया ।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को भारत की सदस्यता

22.4 भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का संस्थापक सदस्य है तथा इसके प्रारम्भ में ही उसकी गतिविधियों में अग्रणी भूमिका निभाता आया है । दस देशों का प्रमुख होने के नाते उसके औद्योगिक महत्व के कारण कार्यकारी निकाय के सरकारी दल में भारत के पास अचयनित सीट है जोकि संगठन का कार्यकारी विंग है । भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की गतिविधियों में तकनीकी जनशक्ति भी मुहैया कराता है । विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन करने के लिए बहुत से राष्ट्रीय विशेषज्ञों को अनुबंधित किया गया ।

22.5 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में वित्तीय सहायता मुख्य रूप से सदस्य देशों से प्राप्त अंशदान से मिलती है । अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का बजट कैलेंडर वर्ष के अनुसार चलता है तथा वार्षिक अंशदान का भुगतान सदस्य राष्ट्रों की सरकारों द्वारा वर्षवार आधार पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के द्वारा नियत स्केल के आधार पर किया जाता है जोकि संयुक्त राष्ट्र के मूल्यांकन मापदण्ड के अनुसार है । हमने पिछले नौ वर्षों के दौरान समय से अंशदान का भुगतान करके प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाया है । भारत द्वारा वर्ष 2005 के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को भुगतान किये जाने वाले अंशदान की राशि 14,89,007 स्विस फ्रैंक्स (5,75,94,791.00 रूपये के बराबर) थी ।

22.6 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत के केन्द्रीय श्रम संस्थान (मुम्बई) क्षेत्रीय श्रम संस्थान (कोलकाता, कानपुर एवं चैन्नई), रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत वोकेजनल प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान एवं भारतीय तकनीकी संस्थान जैसी कई संस्थाओं में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं का प्रयोग किया है। बंगलादेश के नेशनल कंसल्टेटिव काउंसिल आफ वर्क्स एजुकेशन के ट्रेड यूनियन नेताओं के एक शिष्टमंडल ने स्टडी टूर पर भारत की यात्रा की ।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

22.7 वर्ष के दौरान जॉर्डन के हासमाइट किंगडम के श्रम मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल, चीनी गणतंत्र के उपमंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल तथा महानिदेशक, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी भारत की यात्रा की। इस्लामी गणतन्त्र, ईरान के 15 अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल के श्रम संबंधी मुद्दों पर एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन वी.वी.गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा आयोजित किया गया ।

22.8 भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का संस्थापक सदस्य है जोकि 1919 से अस्तित्व में है एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की कार्यकारी परिषद् के स्थायी सदस्यों में से भी एक है । वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 177 सदस्य है । अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनोखी विशिष्टता वाला त्रिस्तरीय संगठन है । संगठन में प्रत्येक स्तर पर सरकार दो अन्य सामाजिक सहयोगी अर्थात श्रमिक तथा नियोक्ता से जुड़ी हुई है । अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के तीन अंग हैं :- 1) अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन : अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की आम सभा जोकि प्रतिवर्ष जून महीने में बैठक करती है, 2) कार्यकारी निकाए : अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की कार्यकारी परिषद् जिसकी वर्ष में तीन बार मार्च, जून तथा नवम्बर माह में बैठकें होती हैं 3) अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय : एक स्थायी सचिवालय । भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की शुरूआत से ही उसकी कार्यवाहियों में एक सक्रिय भूमिका निभाता आया है ।

22.9 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संविधान में त्रिपक्षीयता की भावना का समावेश है । भारत का त्रिस्तरीय प्रतिनिधि मण्डल प्रतिवर्ष जनेवा मेंआयोजि होने वाले अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन गवर्निंग बॉडी की बैठको में सक्रिय रूप से भाग लेता आया है तथा चर्चा एवं बहस में विविध रूप से योगदान देता आया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भारत की सम्बद्धता पारस्परिक रूप से लाभकारी बन चुकी है। भारत के विविध सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अनुभव ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन तथा गवर्निंग बॉडी की गतिविधियों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है । साथं ही काफी समय से भारतीय प्रतिनिधि मण्डल तथा सलाहकारों के द्वारा प्राप्त अनुभव ने हमारी राष्ट्रीय कानून एवं प्रक्रिया को एक अंतर्राष्ट्रीय आयाम देने में मदद की है । भारत श्रमिकों की दशा में सुधार हेतु सामाजिक तथा श्रम कल्याण के उपायों के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है । अब तक हमने 4 कोर कन्वेंशन सहित 39 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन को अनुसमर्थन दिया है । अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के इस्सट्रयूमेंट के अनुसमर्थन के संबंध में, भारत कन्वेंशन को सिर्फ तभी अनुसमर्थन करता है जब हम इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारी राष्ट्रीय कानून तथा प्रक्रिया संबंधित कन्वेंशन से मेल खाता है ।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 92वां सत्र

22.10 अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 92वां सत्र 1 जून से 17 जून, 2004 तक आयोजित किया गया जिसमें माननीय श्रम और रोजगार मंत्री श्री शीश राम ओला जी के नेतृत्व में 24 सदस्यों के त्रिपक्षीय भारतीय शिष्ट मण्डल ने भाग लिया। श्री सतीश चतुर्वेदी, श्रम मंत्री, महाराष्ट्र सरकार, चौधरी जगजीत सिंह, श्रम मंत्री, पंजाब सरकार और मोहम्मद अमीन, श्रम मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार भी भारतीय शिष्ट मण्डल में शामिल थे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के इस सत्र में विभिन्न मुद्दों पर विचार किया गया और चर्चा की गयी जैसे विश्व में प्रवासी कामगारों की बढ़ती संख्या हेतु विविध नीतियों को प्रोत्साहित करना, मानव संसाधन विकास हेतु नए मानकों को अपनाना, नियोक्ता और कर्मचारियों के मूलभूत अधिकारों की स्थिति की समीक्षा करना, मछली क्षेत्र की कार्यकारी स्थितियों और वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम पर विश्व आयोग की रिपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक की रिपोर्ट आदि विषयों पर चर्चा की गयी । अधिकृत अरब देशों के कामगारों और म्यामांर के बंधुआ श्रमिकों की स्थिति पर भी चर्चा की गयी ।

वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम

22.11 वैश्वीकरण का सामाजिक आयाम सम्मेलन में चर्चा का एक मुख्य विषय था । अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 92वें सत्र में विश्व आयोग रिपोर्ट पर महानिदेशक की रिपोर्ट पर चर्चा की गयी । मानवतावादी वैश्वीकरण को सुनिश्चित करने और वैश्विक लक्ष्य के रूप में संतोषजनक परिणाम प्राप्त करने हेतु भारतीय शिष्टमण्डल ने यह मानते हुए कि वैश्वीकरण ने कुछेक के लिए अवसर सृजित किये

हैं, वैश्वीकरण सामाजिक आयाम पर बोलते हुए प्रजातंत्र सामाजिक समानताऔर समाज के सभी भागीदारों के प्रभावी योगदान पर आधारित वैश्विक प्रशासन की आवश्यकता पर बल दिया। प्रशासकीय निकाय की 289वें और 291वें सत्र में भी इस विषय पर चर्चा की गयी। इस विषय पर भारत का रूख इस प्रकार रहा :-

- वैश्विकरण के सामाजिक आयाम पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का भारत ने स्वागत किया । भारत सरकार ने यह पाया कि विश्व आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशें निश्चित रूप से सही दिशा में चलाया जाने वाला एक अभियान है । यह महसूस किया गया कि पहले से चिन्हित चुनौतियों का बेहतर रूप से सामना करने के लिए वर्तमान सांस्थानिक ढ़ाचे में परिवर्तन लाने के लिए विशेष सुधार की आवश्यकता है अत: इस प्रकार के सुधार के किसी भी प्रस्ताव पर चर्चा करने की आवश्यता है।
- भारत ने "समुचित कार्य" की अवधारणा में निहित सिद्धान्तों का समर्थन किया है और इस बात पर बल दिया है कि हमारे आर्थिक विकास की वर्तमान स्थिति में प्रत्येक संभावित कर्मचारी के लिए कार्य सुनिश्चित करने की मूलभूत आवश्यता को प्राथमिकता दी जाए। तत्पश्चात् समुचित कार्य की अवधारणा के अन्य सभी पहलू स्वत: ही परिचालित होंगे।
- रिपोर्ट में बहुराष्ट्रीय कंपनियों और ग्लोबल यूनियन फेडरेशन के मध्य कोर श्रम मानकों पर अनुबंध करने का सुझाव दिया गया है । भारत सरकार का विचार था कि राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था अव्यवहारिक होगी । इसके अतिरिक्त सामाजिक भागीदारों के बीच कोर श्रम मानकों पर ऐसे अनुबंधों को प्रोत्साहित करने से राष्ट्रीय विचार विमर्श तंत्र को क्षति पहूंच सकती है अत: हम दृढ़तापूर्वक यह महसूस करते हैं कि श्रम और समुचित कार्य से संबंधित सभी विषयों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वर्तमान ढ़ाचे के अनुसार ही करना चाहिये।
- ऐसे मुख्य क्षेत्र जिस पर स्वस्थ वैश्विकरण को प्रोत्साहित किया जाना है, विकासशील देशों के हितों में होना चाहिये। वैश्विकरण के प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त करने के लिए भारत ने रोजगार का सृजन करने और कार्यकुशलता में वृद्धि करने की दिशा में प्रयास करने का सुझाव दिया।
- विभिन्न स्टेक होल्डर के बीच भागीदारी के मामले में जैसाकि रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि भारत सरकार ने सीमापार क्षेत्रों के विभिन्न स्टेकहोल्डरों के मध्य बातचीत की नीति, सामूहिक सामाजिक दायित्व, वैश्विकरण और सामाजिक संरक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी में क्षमता बढ़ाने, क्षेत्रीय अखंडता और लिंग समानता के विषय में समान रूप से विचार करने और भागीदारी करने का निर्णय किया है तथापि भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु विकास ढांचे के क्षेत्र में बहुपक्षीय पद्धति के भीतर एजेंसियों के अलावा अन्य किसी भी व्यवस्था के पक्ष में नहीं है । यद्यपि रूचि रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मध्य ग्लोबल पोलिसी फोरम की स्थापना का भारत ने समर्थन किया है। यह भी इंगित किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रमुख फोरम में विवादास्पद श्रम समस्याओं पर चर्चा करने और समाधान करने के किसी भी प्रयास से समझौता न किया जाए।
- हालांकि भारत कोर श्रम मानकों का पूर्णतया सम्मान करता है फिर भी इन्हें निवेश और व्यापार उपायों के लिए चर्चा का आधार नहीं बनाया जा सकता।
- भारत यह मानता है कि वैश्विकरण से देशों के बीच परस्पर निर्भरता बढ़ी है और यह भी मानता है कि वैश्विकरण के कारण एक अच्छे और सुसंगत वैश्विक प्रशासन की आवश्यकता है। तथापि हम किसी एजेंसी को प्रभुसत्ता सम्पन्न राष्ट्रीय नीतियों का दमन करने का समर्थन नहीं कर सकते।
- भारत में हम अभी भी बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं । हमारा देश अपने लोगों की आवश्यताओं को समझता है और उन्हें उत्तम कार्य और बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है । अत: विकास की इस स्थिति में हम विश्व में समान सामाजिक आर्थिक मंच की अवधारणा का समर्थन नहीं कर सकते जैसाकि रिपोर्ट में अनुशंसा की गयी है ।

पूर्ण सत्र

22.12 केन्द्रीय श्रम और रोजगार सचिव डा0 पी.डी शिनाय ने 11 जून को पूर्ण सत्र में संबोधित करते हुए महानिदेशक को विस्तृत और सूचनापरक रिपोर्ट "महानिदेशक रिपोर्ट - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कार्यक्रम और क्रियान्वयन 2002-03 और रिइटरेटड इंडिया" प्रस्तुत करने और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के निहित सिद्धान्तों अथवा मूलभूत परम्पराओं के प्रति वचनबद्धता के लिए आभार प्रकट किया ।

22.13 सामाजिक न्याय पर वैश्विक रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए विशेष पूर्ण सत्र की व्यवस्था की गयी । डॉ0 पी.डी शिनॉय ने जोर दिया कि सम्मेलन के उद्देश्यों को प्राप्त करने

के लिए विवादों के निपटान के लिए प्रभावी तंत्र और मजबूत श्रम प्रशासन का होना अनिवार्य है । सद्‌भावनापूर्ण औद्योगिक संबंधों के बिना आर्थिक विकास को बनाए नहीं रखा जा सकता। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमारी राजनीतिक परम्परा, स्वतंत्र समाज, स्वतंत्र प्रेस और मजबूत स्वतंत्र न्यायपालिका में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन के सिद्धान्तों के प्रति वचनबद्धता और अनुपालन स्पष्ट झलकता है। हमारा संविधान स्वतंत्र समाज, स्वतंत्र संगठन, स्वतंत्र अभिव्यक्ति और अन्य सभी प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है जो शोषण और भेदभाव के विरूद्ध गारन्टी के अधिकारों की रक्षा करते हैं।

मानकों को लागू करने की समिति :

22.14 मानक विनियोग समिति ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संघटन के साथ-साथ अनुसमर्थित सम्मेलनों से उत्पन्न दायित्वों का सदस्य देशों द्वारा अनुपालन की जाँच की। समिति ने समझौतों एवं सिफारिशें के अनुप्रयोग पर श्रम सं.संघटन के अनुच्छेद 19 एवं 22 के अंतर्गत भारत सहित सदस्य देशों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों तथा अं.श्र.सं.संघटन के अंतर्गत मानक-सम्बन्धी दायित्व का सदस्य देशों द्वारा निर्वाह करने पर भी विचार किया। सामान्य परिचर्चा का दूसरा भाग रोजगार नीति, पूर्ण उत्पादक एवं मुक्त भाव से चुने गए रोजगार की प्राप्ति के लिए लघु एवं मध्यम एंटरप्राइजों (एस.एस.ई) तथा मानव संसाधन विकास पर अंत श्रम सं.के मानकों के योगदान पर केन्द्रित था।

22.15 समिति की कार्य प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में, क्यूबा के सरकारी सदस्य ने भारत सहित 18 देशों की ओर से बोलते हुए समिति के कार्य की क्षमता, पारदर्शिता एवं उद्देश्यपरकता में सुधार के लिए इन प्रणालियों की नई जांच करने का अनुरोध किया । भारत ने क्यूबा के सरकारी सदस्य द्वारा दिए गए प्रस्तावों के लिए अपना समर्थन दोहराया ।

22.16 समिति ने म्यांमार सरकार द्वारा बेगार सम्मेलन, 1930 (सं.29) की प्रयुक्ति से सम्बन्धित विकास की जाँच के लिए एक विशेष बैठक की । सरकारी सदस्य ने कहा कि पिछले वर्ष मई में संयुक्त कार्य की योजना की शुरुआत एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे अं.श्र.सं. तथा म्यांमार प्राधिकरण के बीच सहयोग प्रक्रिया में एक नई शुरुआत हुई है। उन्होंने इस कार्ययोजना के क्रियान्वयन के लिए दोनों पक्षों से आगे बढ़ने का अनुरोध किया तथा इसके क्रियान्वयन के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों पर भारत की संतुष्टि के विषय में बताया। उन्होंने समिति को भारत सरकार के नजरिए के बारे में सूचित किया कि म्यांमार को आवश्यक बदलाव करने के लिए सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए तथा इसे देश की आंतरिक राजनीतिक प्रक्रिया से नहीं जोड़ा जाना चाहिए तथा इस प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने वाले कदमों से बचने पर भी उन्होंने जोर दिया ।

मानव संसाधन विकास समिति :

22.17 मानव संसाधन विकास पर सम्मेलन समिति ने पूर्णता एवं उपयोगिता को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण नीतियाँ एवं प्रणालियों के विकास के लिए विभिन्न देशों को परिष्कृत करने तथा उन्हें दिशा दिखाने के लिए "मानव संसाधन विकास प्रस्ताव, 2004" नामक एक नए तंत्र को अपनाने के प्रस्ताव पर विचार किया। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने संशोधित मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण प्रस्ताव (सं195) को अपनाने का समर्थन किया तथा उन्होंने जोर दिया कि चूंकि देश में श्रमिक वर्ग की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए हमारे कार्यबल के कौशल विकास के लिए सभी स्टेकहोल्डरों को आपस में मिल जाना चाहिए। हमने इस सम्बन्ध में विकासशील देशों के प्रयत्नों को मजबूत बनाने के लिए "अंतर्राष्ट्रीय कौशल विकास निधि" के अनुरोध को भी दोहराया।

मत्स्य क्षेत्र पर समितिः

22.18 एक व्यापक स्तर अपनाने के उद्देश्य से समिति ने सात मत्स्य तंत्रों (न्यूनतम आयु, चिकित्सा जांच, समझौते के अनुच्छेद, आवास, खाद्य एवं प्रशिक्षण से सम्बन्धित पांच सम्मेलन एवं दो प्रस्ताव) में संशोधन पर विचार किया। नए मामले जो वर्तमान तंत्रों द्वारा कवर्ड नहीं हैं, उनमें पहचान के दस्तावेज, प्रत्यावर्तन, भर्ती, समुद्र में चिकित्सा-सेवा, व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, अनुपालन एवं प्रवर्तन शामिल है। "व्यापारिक जहाजरानी" की परिभाषा में छोटे मछुआरे भी शामिल है । नया स्तर भारत के लिए बहुत लाभकारी होगा क्योंकि मत्स्य क्षेत्र में अनुकूल आय एवं रोजगार उत्पन्न करने का सामर्थ्य है । भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने प्रस्ताव का स्वागत करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में मत्स्य ग्रहण के महत्वपूर्ण स्थान, मछुआरों के विकास के लिए देश द्वारा उठाए गए कदम, समुद्र में सुरक्षा के सम्बन्ध में जागरूकरता पैदा करने की आवश्यकता तथा मत्स्य क्षेत्र में शिक्षा एवं प्रशिक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला ।

प्रवास पर समिति :

22.19 पवास पर समिति की बैठक 1 जून, 2004 को हुई। "वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रवासी कामगारों के लिए निष्काम व्यवहार को ओर अग्रसर" की रिपोर्ट आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रयास के बढ़ते हुए महत्व तथा अच्छे काम एवं मानवीय सुरक्षा की तलाश में लोगों की बढ़ती हुई गतिशीलता तथा विश्व के प्रत्येक भाग में बहुपक्षीय सहयोग एवं संपर्क को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्माताओं के प्रभावशाली ध्यान को दर्शाती है। प्रवासी कामगारों के मामले में, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रवासियों तथा गैर-प्रवासियों के बीच भेदभाव को समाप्त करने का समर्थन किया किन्तु अनियमित प्रवासियों के नियमितिकरण का विरोध किया तथा प्रस्ताव दिया कि प्रवास के औपचारिक माध्यमों को मजबूत तथा सरल बनाया जाए जिससे अनियमित प्रवास को कम किया जा सके। श्रम प्रवास पर अधिकार आधारित प्रस्ताव के लिए एक मुक्त बहुपक्षीय रूपरेखा के विकास के लिए कार्य-योजना बनाने पर तथा अंतर्राष्ट्रीय तथा बहुपक्षीय संगठनों के साथ भागीदारी करते हुए प्रवास पर अंत.श्र.स.बातचीत की स्थापना पर समिति एकमत हो गई ।

अन्य घटनाएँ :

22.20 सम्मेलन के दौरान, एशिया एवं प्रशांत ग्रुप के श्रम मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता श्री हरदीप पुरी, राजनायिक एवं भारत के स्थायी प्रतिनिधि द्वारा की गई । विचार- विमर्श में भाग लेते हुए, भारत के सरकारी सदस्य (श्री बालेश्वर राय) ने बेरोजगारी पहले से ही काम कररहे लोगों की उत्पादकता एवं आय का स्तर तथा निर्धन कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान की समस्या तथा इस समस्या को दूर करने के लिए हमारे देश द्वारा की गई कार्रवाई के विषय में बात की ।

22.21 गुट-निरपेक्ष देशों पर श्रम मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता मलेशिया के श्रम मंत्री ने की । गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलन के श्रम मंत्रियों को सम्बोधित करते हुए भारत के सरकारी सदस्य (श्री के चन्दमौली) ने क्यूबा के सरकारी प्रतिनिधि द्वारा लिए गए निर्णय का समर्थन किया तथा कहा कि अं.श्र.स. द्वारा प्रस्तावित वैश्विक उत्पादन प्रणाली में नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक यूनियन फेडरेशनों एवं निगमों के बीच अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखा एवं समझौतों के द्वारा वैश्विक अभिशासन की प्रणाली अव्यवहारिक होगी एवं इसे राष्ट्रीय स्तरों पर क्रियान्वित करने में मुश्किल होगी । यही नहीं बहुराष्ट्रीय निगमों एवं वैश्विक यूनियनों के बीच श्रम स्तरों पर ऐसे द्विपक्षीय समझौते राष्ट्रीय त्रिपक्षीय तंत्रों को कमजोर बनाएँगे ।

22.22 सम्मेलन के दौरान बहुत-सी द्विपक्षीय बैठकें भी आयोजित की गई । माननीय श्रम मंत्री श्री शीश राम ओला ने अपने प्रतिपक्षी महामहिम डॉ.मारियो लामपिओ सीवन, श्रम मंत्री, मोजाम्बिक से मुलाकात की । मोजाम्बिक के श्रम मंत्री ने भारत के माननीय श्रम मंत्री को अवगत कराया कि डॉ. पी.डी.शिनॉय, सचिव (श्रम) ने पहले ही उनके देश के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं तथा वे इसके क्रियान्वयन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। केन्द्रीय श्रम मंत्री, श्री शीश राम ओला की ओर से सचिव (श्रम) ने आश्वासन दिया कि सभी प्रतिभागियों को, जो प्रशिक्षण के उद्देश्य से भारत आयेंगे, भारत सरकार यथासम्भव सहायता प्रदान करेगी ।

22.23 श्री पी.डी.शिनॉय, सचिव (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) ने श्रीलंका के श्रम मंत्री, एच.ई.अथौडा सेनविराट के साथ भी बैठकें की तथा आश्वासन दिया कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सहायता से भारत में कार्यशाला अथवा सेमीनार आयोजित करने के सम्बन्ध में सहयोग हेतु यथा सम्भव पूरी सहायता प्रदान की जाएगी । ईरान के उप श्रम मंत्री, मि.सलामती के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान, डॉ.शिनॉय ने उन्हें पहले से ही हस्ताक्षरित (एम.ओ.यू.) सहमति पत्र के कार्यान्वयन हेतु यथासम्भव सहायता प्रदान करने का भी आश्वासन दिया । उन्होंने भारत सरकार के प्रयासों की सराहना की तथा अपने देश की ओर से (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) सचिव को बधाई दी ।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रबंध परिषद की बैठकें :-

22.24 वर्ष 2004 के दौरान जेनेवा में प्रबंध परिषद के सम्पन्न हुए 289 वें, 290 वें तथा 291 वें सत्रों में भारत से,त्रिपक्षीय प्रतिनिधि मण्डल ने, सक्रिय भाग लिया ।

प्रबंध परिषद (जी बी) का 289 वाँ सत्र :

22.25 अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) की प्रबंध परिषद का 289 वाँ सत्र 11 से 26 मार्च, 2004 को सम्पन्न हुआ । प्रबंध परिषद के 289वें सत्र में त्रिपक्षीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने केन्द्रीय सचिव, श्रम एवं रोजगार के नेतृत्व में भाग लिया । एशिया तथा पेसीफिक ग्रुप (ए.एस.पी.ए.जी.) के क्षेत्रीय समन्वयक के रूप में भारत ने प्र.परिषद में एशिया पेसीफिक ग्रुप (ए.एस.पी.ए.जी.) की बैठकों में अध्यक्षता की ।

ए.एस.पी.ए.जी. की ग्रुप विवरणियों को तैयार व पूर्ण करने में समन्वय किया तथा विभिन्न समितियों की बैठकों व प्रबंध परिषद (जी बी) की बैठक में इन विवरणियों को प्रस्तुत किया।

22.26 **11 मार्च को फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की बैठक** हुई व श्रम संगठन द्वारा सदस्य देशों के विरूद्ध ट्रेड यूनियन अधिकारों के उल्लंघन सम्बन्धी आरोपों की शिकायतों की जाँच की गई । भारत के विरूद्ध शिकायतों के सम्बन्ध में (केस सं. 1890 - मैसर्स अगोदा बीच रिर्जाट लि., गोआ के विरूद्ध ट्रेड यूनियन अधिकारों का उल्लंघन तथा केस संख्या 2158- मैसर्स पटाका बीड़ी मैनुफैक्चिरिंग क. लि. औरंगाबाद, पश्चिम बंगाल के विरूद्ध ट्रेड यूनियन अधिकारों का उल्लंघन), समिति ने भारत सरकार से फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के सिद्धान्तों केअनुसार इन सभी मामलों के शीघ्र निपटारे का अनुरोध किया है ।

22.27 **रोजगार तथा सामाजिक नीतियों पर गठित समिति की बैठक 18 मार्च, 2004** को सम्पन्न हुई । कार्यसूची मद संख्या 1 **ठेकेदारी के माध्यम से उचित रोजगार को प्रोत्साहन पर विस्तार** पूर्वक चर्चा की गई । इससे कुछ मुख्य बातें उजागर हुई यथा लघु और माध्यम आकार के उद्योगों (एस.एम.ई.) तथा सहकारी समितियों के द्वारा बड़ी संख्या में रोजगार सृजन तथा निर्धनता से निपटने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका । एशिया-पेसीफिक ग्रुप की सरकारों की ओर से बोलते हुए भारत सरकार के प्रतिनिधि ने इस पर बल दिया कि लघु तथा मध्यम आकार के उद्योगों के उद्योगवाद को प्रोत्साहित करने में माइक्रो फाइनान्सिंग मुख्य साधन था तथा आशा व्यक्त की कि उद्योगवाद को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाई जाएगी जो समय के साथ आर्थिक विकास और रोजगार के सृजन में सहायक होगी ।

22.28 समिति ने **निर्धनता कम करने के लिए उत्पादक रोजगार** से सम्बन्धित दूसरे मुद्दे पर चर्चा की । ए.एस.पी.ए.जी. की ओर से भारत के सरकारी सदस्य ने दावा किया कि निर्धनता एक वैश्विक समस्या है तथा 2015 तक इसे आधा करना (मिलेनियम) सहस्राब्दि के विकास का प्रमुख लक्ष्य है । ए.एस.पी.ए.जी. निर्धनता कम करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा बनाई गई नीतियों के साथ सहमत थे तथा कृषि, ग्रामीण, गैर-कृषि कार्य व शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के महत्व पर बल दिया गया। तृतीय मद पर **वैश्विक रोजगार कार्यसूची तथा नीति समेकन से सम्बन्धित पहलुओं के कार्यान्वयन को अद्यतन करना** ए.एस.पी.ए.जी. की ओर से बोलते हुए भारत के सरकारी सदस्य ने व्यापार वातावरण के विनियमन के माध्यम से युवा रोजगार को प्रोत्साहित करने के महत्व को उजागर किया तथा माइक्रो व लघु उद्योगों, व उन्नत औपचारिक एवं अनौपचारिक दक्षता प्रदान करने की आवश्यकता और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के महत्व का समर्थन किया ।

22.29 वैधानिक मुद्दों तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम मानकों (एल.आई.एल.) पर समिति की 19 मार्च, 2004 को बैठक हुई। क्रेडेंशियल समिति की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य को लेकर की गई कार्रवाई के कार्यान्वयन से सम्बन्धित मुद्दे पर ए.एस.पी.ए.जी. की ओर से भारतीय प्रतिनिधि ने यह कहते हुए हस्तक्षेप किया कि यह सुनिश्चित करने में कि सम्मेलन के त्रिपक्षीय प्रतिभागी अपने सम्बन्धित ग्रुप के वैध प्रतिनिधि हैं, क्रेडेंशियल समिति द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते समय विचार किया गया कि उस समिति का उद्देश्य स्पष्ट होना चहिए । "मौलिक सिद्धान्तों तथा कार्य के अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की घोषणा के अनुसरण" के अन्तर्गत तैयार की गई वैश्विक रिपोर्ट पर ए.एस.पी.ए.जी. की ओर से बोलते हुए भारतीय प्रतिनिधि रिपोर्ट पर विषयक चर्चा के प्रस्ताव पर सहमत हो गए तथा उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वक्तव्य पर समय-सीमा का ध्यान रखा जाए । यह भी स्मरण दिलाया गया कि घोषणा के अनुवर्तन की समर्थक प्रवृत्ति से व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए तथा निरीक्षणात्मक मैकेनिज्म में किसी प्रकार की ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए ।

22.30 **क्षेत्रवार व तकनीकी बैठकों तथा सम्बन्धित मुद्दों पर 15 मार्च, 2004** को समिति की बैठक हुई । "2002-2003 में क्षेत्रवार कार्यों तथा 2004-2005 में कार्यक्रम के कार्यान्वयन में प्रगति पर रिपोर्ट" पर चर्चा के दौरान ए.एस.पी.ए.जी. की ओर से बोलते हुए भारतीय प्रतिनिधि ने प्रत्येक क्षेत्रीय समूह से कार्रवाई सम्बन्धी कार्यक्रमों के सभी पहलुओं से उन्हें सूचित करने हेतु विस्तार में परामर्श मांगा तथा देशों से निर्धारित समय सीमा में उनके हितों के विषय में सूचित करने का अनुरोध किया। चुने हुए देशों को योजना सम्बन्धी बैठकों में उपस्थित रहना चाहिए । क्षेत्रवार स्थायी समूह प्रत्येक छः माह में प्रगति को मॉनिटर करें । फंड की अतिरिक्त मांग करने पर कार्यालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक कार्यक्रम के लिए वर्तमान संसाधन अनुकूल है ।

22.31 **वैश्विकरण के सामाजिक आयाम पर कार्यकारी पार्टी** की बैठक 22 मार्च को सम्पन्न हुई । प्रबंध परिषद के समक्ष प्रस्तुत किए गए विभिन्न मुद्दों में वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम पर विश्व आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था।

प्रबंध परिषद का 290वीं सत्र :

22.32 **प्रबंध परिषद का 290वां सत्र** 18 जून, 2004 को सम्पन्न हुआ तथा भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के सत्र की कार्रवाई में सक्रिय रूप से भाग लिया ।

प्रबंध परिषद का 291वां सत्र :

22.33 जी.बी. का 291वाँ सत्र 4 से 19 नवम्बर, 2004 तक आयोजित किया । त्रिपक्षीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व श्री के.एम.साहनी, श्रम एवं रोजगार सचिव फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ने किया। समिति की बैठक अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय, जेनेवा में 4, 5, 6, तथा 12 नवम्बर, 2004 को हुई तथा ट्रेड यूनियन अधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से सम्बन्धित 36 शिकायतों/मामलों तथा सरकारों (सदस्य देशों) के उत्तरों पर विचार किया गया। इनमें से एक भारत के विरूद्ध मामला संख्या 2228 था - इसमें मैसर्स वर्ल्डवाइड डायमंड मैन्यू.कं.लि. वी.ई.वी. जैड, आन्ध्र प्रदेश में ट्रेड यूनियन के उल्लंघन से सम्बन्धित था।

22.34 **विधि मामलों तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम मानकों पर 09 नवम्बर, 2004 को समिति** की बैठक हुई तथा मानव अधिकारों की सुरक्षा आदि से सम्बन्धित कार्रवाई, स्थायी आदेशों, अन्तर्राष्ट्रीय विधिक दस्तावेजों, विधिक अनुबन्धों पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों के निष्कर्षों पर विचार किया गया ।

22.35 **भारत के सरकारी सदस्य ने "आई.एल.ओ. गतिविधियों से सम्बन्धित मानकों में सम्भव सुधार"** अभ्यावेदन प्रक्रिया तथा सक्षम प्राधिकारियों को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के दौरान हस्तक्षेप करते हुए कहा कि "अभ्यावेदन के प्राप्त होने पर निर्णय करते समय शासकीय निकाय को स्वयं इस बात की संतुष्टि होनी चाहिए कि जिस सम्बन्धित देश ने अभ्यावेदन का समर्थन किया है, कम से कम उस देश का एक नियोक्ता या श्रमिक प्रतिनिधि हो । इससे ऐसे संगठनों द्वारा प्रस्तुत त्रुटिपूर्ण अभ्यावेदनों को रोकने में मदद मिलेगी जो इस मामले से सम्बन्धित या प्रभावित नहीं है, जिसपर सम्बन्धित देश के सामाजिक भागीदारों में सहमति है " शासकीय निकाय पर नगर नियमों को समेकित करने के सम्बन्ध में भारत के सरकारी सदस्यों ने सम्बन्धित नियमों को समेकित करने के प्रस्ताव का स्वागत किया । पहले कदम के रूप में उन्होंने वर्तमान नियमों का सार-संग्रह बनाने को वरीयता दी जिसमें मुख्य पृष्ठ पर विस्तृत नोट हो तथा उसमें विधि नियमों को निर्धारित किये बिना कुछ प्रचलित नियमों को दर्शाया जा सके ।

22.36 **रोजगार तथा सामाजिक नीति समिति की** 8, 11 तथा 12 नवम्बर, 2004 को बैठक हुई । समिति का मेनडेट रोजगार, प्रशिक्षण, उद्यम, विकास तथा सहयोग, औद्योगिक सम्बन्ध तथा श्रम प्रशासन, कार्यदशा तथा पर्यावरण, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार में पुरुषों तथा महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने इत्यादि के सम्बन्ध में आई.एल.ओ. नीतियों तथा गतिविधियों पर शासकीय निकाय को सलाह देना तथा विचार करना था। समिति ने न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक बातचीत के लिये उत्प्रेरक विषय पर विचार विमर्श किया । भारत के सरकारी सदस्यों ने ए.एस.पी. ए.जी. के समन्वय की तरफ से एक विवरणी प्रस्तुत करते हुए कहा कि वेतन का निर्धारण बातचीत की प्रक्रिया या सौदेबाजी के द्वारा किया जाना चाहिये । जबकि सरकार के निर्णयों को असंगठित क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभानी चाहिये जहाँ श्रमिकों का ढाँचागत संगठन मजबूत नहीं है तथा नियोक्ता न्यूनतम वेतन देते है । विकसित देशों में व्यापार, विदेशी निवेश तथा उत्पादकता रोजगार पर भारत के सरकारी सदस्यों ने बताया कि व्यापार उदारीकरण का रोजगार तथा आय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों में यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि व्यापार तथा पूंजी प्रवाह के लिये तथा सीमापार लोगों के आने-जाने के लिए न्याय संगत नियम बनाये जायें तथा विकसित देशों के बाजार तक पहुँच हो ।

22.37 **तकनीकी सहयोग समिति की 12 नवम्बर, 2004** को बैठक हुई । कार्यसूची की मद संख्या (1) अर्थात "आई.एल.ओ. के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम 2003-04" पर हस्तक्षेप करते हुये भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने निम्नलिखित बातों पर जोर दिया:

- आई.एल.ओ. को यू.एन.डी.पी. जैसी महत्वपूर्ण एजेंसियों से संसाधन गतिशील बनाने के प्रयासों में वृद्धि करनी चाहिए ।

- रोजगार क्षेत्र ने 2002 से उच्च व्यय की अपनी स्थिति को खो दिया है । इस क्षेत्र को कुल तकनीकी सहयोग का बड़ा भाग दिया जाना चाहिए। अन्य क्षेत्रों की सफलता अकेले इसी क्षेत्र की सफलता पर निर्भर करती है ।

- तकनीकी सहयोग व्यय में कम विकसित देशों के हिस्से में लगातार कमी हो रही है । आई.एल.ओ को इस पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए तथा गरीब देशों को अधिक भाग देने के लिए समुचित कार्रवाई करनी चाहिये ।

- आई.एल.ओ. को अपने तकनीकी कार्यक्रम में विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में अनौपचारिक क्षेत्र पर अधिक जोर देना चाहिये चूंकि विकासशील देशों के अधिकतर श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं ।
- आई.एल.ओ. को दानदाता देशों पर अधिक निर्भर रहने के बजाय तकनीकी सहयोग परियोजना के वितपोषण के लिए नियमित बजट से अधिक निधि का प्रावधान करना चाहिए ।
- जिन देशों में तकनीकी सहयोग परियोजना क्रियान्वित की जाती है उन देशों के वर्तमान संस्थानों के विशेषज्ञों तथा सेवाओं के प्रयोग की आवश्यकता है ताकि लाभकारी परिणाम प्राप्त हो सके ।
- यह महत्वपूर्ण है कि एक ऐसी पद्धत्ति हो जिसमें आई.एल.ओ. की सहायता बंद होने पर भी तकनीकी सहयोग परियोजना का स्थायी रूप से ध्यान रख सके ।
- ऐसे संस्थानों के उत्थान की आवश्यकता है जो कौशल विकास के क्षेत्र में उत्कृष्टता के कुछ केन्द्र स्थापित करें ताकि अच्छे कार्य के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ तैयार की जा सकें ।

22.38 **वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम पर कार्यबल की बैठक15 नवम्बर, 2004** को हुई । वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम पर आयोग की रिपोर्ट पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई पर विचार-विमर्श किया गया ।

22.39 पूर्ण शासकीय निकाय की बैठक 16, 17, 18 तथा 19 नवम्बर, 2004 को हुई । विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श किया गया । कार्यसूची में विचार-विमर्श हेतु 18 मदें थीं। "आई.एल.सी. के 96वें सत्र (2007) की कार्यसूची के प्रस्ताव के सम्बन्ध में भारत के सरकारी सदस्यों ने कहा कि कार्य में लिंग समानता तथा एजिंग समाज में रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा" को प्राथमिकता देने पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने भविष्य में मानक निर्धारण के समय कार्य स्थल में यौन उत्पीड़न (2007 के अ.भा.सं. के बाद तक) को रोकने के प्रस्ताव का भी समर्थन किया ।

22.40 अधिकृत अरब क्षेत्रों के लिए तकनीकी सहयोग के विस्तारित कार्यक्रम समन्वयक, ए.एस.पी.ए.जी. ने फिलिस्तिनियों के कल्याण के लिये फिलिपीन निधि की स्थापना का समर्थन किया । उन्होंने आई.एल.ओ. के सदस्य राज्यों तथा अन्यों से आग्रह किया कि फिलस्तीन निधि का समर्थन करें । बंधुआ श्रम सम्मेलन (1930) में संख्या 29 पर म्यांमार की सरकार की टिप्पणी के प्रश्न से सम्बन्धित मैन पावर विकास के मुद्दे पर भारत के सरकारी सदस्यों ने सूचित किया कि भारत का विश्वास है कि जब भी आवश्यक हो सभी सम्भव तकनीकी सहायता दी जानी चाहिए ताकि म्यांमार देश के विधान में तथा व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन ला सके ताकि कनवेंशन के प्रावधानों को पूरी तरह लागू किया जा सके ।

निष्कर्ष :

22.41 अन्तर्राष्ट्रीय संधियाँ तथा दस्तावेज ऐसे समझौते हैं जो समर्थन करने वाले देशों पर अनिवार्य रूप से वैधानिक बाध्यता है । सिफारिशें बाध्य नहीं होती हैं तथा राष्ट्रीय नीतियों तथा कार्रवाई के लिये मार्ग निदेश होते हैं । आई.एल.ओ. द्वारा 185 **अभिसमय** अपनाये गये हैं । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के सम्बन्ध में भारत का दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक रहा है तथा यह ऐसे अभिसमय अपनाने का समर्थन करता है। भारत का विचार है कि आई.एल.ओ. अभिसमय का अनुसमर्थन पूर्वापेक्षित नहीं है। आई.एल.ओ. द्वारा स्थापित माप दण्ड हमारे राष्ट्रीय कानूनों तथा व्यवहारिक भी नजर आते हैं। अभी तक हमें 40 अभिसमयों तथा एक प्रोटोकॉल (अनुसमर्थित अभिसमयों की सूची संलग्न है) का अनुसमर्थन किया है। 'सी 108 सीफेयरर्स आईडेन्टीटी डॉक्यूमेंटस अभिसमय 1958' का हमने अभी-अभी अनुसमर्थन किया है। कुछ प्रतिकूल सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के कारण जैसा कि भारत जैसे बड़े प्रजातांत्रिक देश में विरासत में है । भारत कुछ अभिसमयों का अनुसमर्थन करने की स्थिति में नहीं है। आई.एल.ओ. अभिसमयों के अनुसमर्थन में निहित बहुत से मुद्दों को हल करने के गम्भीर प्रयास किये जा रहे हैं । भारत शायद अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भारतीय श्रम मानकों में सुधार के लिये बचनबद्ध है ताकि उनका जीवन स्तर अच्छा हो ।

भारत द्वारा समर्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन

क्रसं.	कन्वेंशन	समर्थन तिथि
1.	सं.1 कार्य घंटे (उद्योग) कन्वेंशन 1919	14.07.1921
2. *	सं.2 बेरोजगारी कन्वेंशन, 1919	14.07.1921
3.	सं.4 रात्रि कार्य (महिलाएँ) कन्वेंशन 1919	14.07.1921
4.	सं.5 न्यूनतम आयु (उद्योग) कन्वेंशन 1919	09.09.1955
5.	सं.6 युवाओं का रात्रि कार्य (उद्योग) 1919	14.07.1921
6.	सं.11 सम्बद्धता का अधिकार (कृषि) कन्वेंशन 1921	11.05.1923
7.	सं.14 साप्ताहिक आराम (उद्योग) कन्वेंशन 1921	11.05.1923
8.	सं.15 न्यूनतम आयु (ट्रिमर्स एवं स्टोकर्स) कन्वेंशन 1921	20.11.1922
9.	सं.16 युवाओं की चिकित्सा परीक्षा (यतृद्ध) कन्वेंशन 1921	20.11.1922
10.	सं.18 महिलाएँ प्रतिपूर्ति (व्यवसायिक बीमारी) कन्वेंशन 1925	30.09.1927
11.	सं.19 उपचार की समानता (दुर्घटना प्रतिपूर्ति) कन्वेंशन 1925	30.09.1927
12.	सं.21 उत्पवासी निरीक्षण कन्वेंशन 1926	14.01.1928
13.	सं.22 सीमेंस आटीकल्स समझौता कन्वेंशन 1926	30.10.1932
14.	सं.26 न्यूनतम आर्य निर्धारण तंत्र कन्वेंशन 1928	10.01.1955
15.	सं.27 भार चिन्हीकरण (पोतों द्वारा ट्रान्सपोर्ट किए जाने वाले पैकेज) कन्वेंशन 1929	07.09.1931
16.	सं.29 बलप्रयोग श्रम कन्वेंशन 1930	30.11.1954
17.	सं.32 दुर्घटनाओं से बचाव (डॉकर्स) संशोधित कन्वेंशन 1932	10.02.1947
18@	सं.41 रात्रि कार्य (महिला) संशोधित कन्वेंशन 1934	22.11.1935
19.	सं.42 श्रमिक प्रतिपूर्ति (व्यवसायिक बीमारी) संशोधित कन्वेंशन 1934	13.01.1964
20.	सं.45 भूमिगत कार्य (महिला) कन्वेंशन 1935	25.03.1938
21.	सं.80 फाइनल आर्टिकल्स संशोधन कन्वेंशन 1946	17.11.1947
22. **	सं..81 श्रम निरीक्षण कन्वेंशन 1947	07.04.1949
23.	सं.88 रोजगार सेवा कन्वेंशन 1948	24.06.1959
24.	सं.89 रात्रि कार्य (महिला) संशोधित कन्वेंशन 1948	27.02.1950
25.	सं.90 युवाओं का रात्रि कार्य (उद्योग) संशोधित कन्वेंशन 1948	27.02.1950
26.	सं.100 समान मेहनताना कन्वेंशन 1951	25.09.1958
27.	सं.107 देशी एवं आदिवासी जनसंख्या कन्वेंशन 1957	29.09.1958
28.	सं.111 भेदभाव (रोजगार एवं व्यवसाय) कन्वेंशन 1958	03.06.1960
29.	सं.116 फाइनल आर्टिकल्स संशोधन कन्वेंशन 1961	21.06.1962
30. #	सं.118 उपचार की समानता (सामाजिक सुरक्षा) कन्वेंशन 1962	19.08.1964
31.@@	सं.123 न्यूनतम आयु (भूमिगत कार्य) कन्वेंशन 1965	20.03.1975
32.	सं.115 विकिरण बचाव कन्वेंशन 1960	17.11.1975
33.	सं.141 ग्रामीण श्रमिक संगठन कन्वेंशन 1975	18.08.1977
34.	सं.144 त्रिपक्षीय परामर्श (अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक मानक) कन्वेंशन 1976	27.02.1978
35.	सं.136 बेन्जीन कन्वेंशन 1971	11.06.1991
36. # #	सं 160 160 श्रमिक सांख्यिकीय कन्वेंशन 1985	01.04.1992
37.	सं.147 मर्चेंट सीपिंग (न्यूनतम मानक) कन्वेंशन 1976	26.09.1996
38.	सं.122 रोजगार नीति कन्वेंशन 1964	17.11.1998
39.	सं.105 बलप्रयोग श्रम समाप्ति नीति 1957	18.05.2000
40.	सं.108 सी.फेर्रस पहचान दस्तावेज कन्वेंशन 1958	आइ.एल.ओ.को निश्चित करना है
41.	सं.89 1990 का प्रोटोकॉल रात्रि (महिला) कन्वेंशन, (संशोधित), 1948	21.11.2003

बाद में असहमति, कन्वेंशन में प्रत्येक 3 माह बाद बेरोजगारी से सम्बन्धित आँकड़े देना अपेक्षित है जिसको व्यवहार्य नहीं माना गया है ।
@ कन्वेंशन संख्या 89 के समर्थन के परिणामस्वरूप कन्वेंशन असहमत
**** भाग-।। छोड़कर**
 # शाखाएँ (ग) तथा (छ) तथा शाखाएँ (क) से (ग) तथा (न)
@@ प्रारम्भ में न्यूनतम आयु 16 वर्ष विनिर्दिष्ट की गई थी, परन्तु 1989 में बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई ।
भाग-।। का अनुच्छेद 8
स्रोत श्रम मंत्रालय